भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2924

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसान क्रेडिट कार्ड

2924. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अब तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान राज्य में जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों का जिलावार ब्यौरा क्या है और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंवर जिलों का ब्लॉकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए विशेष लाभों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में दिनांक 31.12.2024 तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख): समेकित रूप में 'जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों' का जिलावार/ब्लॉकवार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): सरकार, राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों सहित पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का एक अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जो प्रभावी रूप से ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर देता है।

आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। यदि संबद्ध गतिविधियों (जैसे पशुपालन के अलावा) के लिए अल्पकालिक ऋण लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है। हालांकि, 2025 के बजट में इस सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

लोकसभा अ.ता. प्र.सं.2924

अनुबंध-I

दिनांक 31.12.2024 तक केसीसी परिचालन डेटा

कं.सं.	राज्य	प्रचालनात्मक केसीसी की संख्या
1	दिल्ली	2,698
2	हरियाणा	2,373,106
3	हिमाचल प्रदेश	589,201
4	जम्मू और कश्मीर	1,065,204
5	पंजाब	2,163,678
6	राजस्थान	6,967,852
7	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1,501
8	लद्दाख	28,042
9	अरुणाचल प्रदेश	22,778
10	असम	587,287
11	मणिपुर	19,442
12	मेघालय	82,247
13	मिजोरम	42,722
14	नागालैंड	35,508
15	सिक्किम	11,067
16	त्रिपुरा	174,237
17	अंडमान और निकोबार द्वीप	8,366
18	बिहार	2,868,912
19	झारखंड	981,788
20	ओडिशा	4,303,873
21	पश्चिम बंगाल	3,490,139
22	छत्तीसगढ	1,894,110
23	मध्य प्रदेश	6,471,976
24	उत्तराखंड	510,753
25	उत्तर प्रदेश	10,984,174
26	गोवा	11,886
27	गुजरात	3,177,080
28	महाराष्ट्र	7,153,999
29	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,465
30	आंध्र प्रदेश	4,755,649
31	तेलंगाना	4,495,882
32	कर्नाटक	5,386,754
33	केरल	2,468,534
34	पुदुचेरी	23,357
35	तमिलनाडु	4,009,365
36	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	3,004
सकल योग		**77,167,636**

स्रोत: सहकारी बैंक और आरआरबी के लिए आरबीआई और नाबार्ड

*****